



# BULANDSHAHR POLICE



दिनांक – 29 जुलाई, 2025

थाना सिकन्द्राबाद

**04 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ विद्युत तार, कटे पोल, 02 अवैध चाकू व 01**

**महिन्द्रा ACE बरामदा**

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 28.07.2025 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर 04 शातिर चोरों को चोरी किये हुए विद्युत तार, कटे पोल, 02 अवैध चाकू व 01 महिन्द्रा ACE सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 711/25 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है तथा बरामद महिन्द्रा ACE को MV ACT में सीज किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-**

1. सोनू उर्फ राजू पुत्र तस्बुर निवासी के ब्लाक की झुग्गी कस्बा व थाना सीलमपुर दिल्ली।
2. यामीन पुत्र करीम निवासी तिलबेगमपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. अजीत कुमार राय पुत्र वीरकान्त राय निवासी प्रताप नगर 115 एफ थाना छावनी पटियाला पंजाब।
4. संजय सिंह पुत्र वासूदेव सिंह निवासी भेसरोली थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

**बरामदगी का विवरण:-**

1. 05 बंडल विद्युत तार
2. 10 पोल कटे हुए
3. 01 तार कटर
4. 02 अवैध चाकू
5. 01 महिन्द्रा ACE (DL-1-LAL-6430)

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर हैं। जिनके द्वारा दिनांक 19-07-2025 थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रिटोली व खगुआवास के जंगल में लगे पोलों से विद्युत तार चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 704/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

**गिरफ्तार अभियुक्त सोनू उर्फ राजू का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 704/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मु0अ0सं0 711/2025 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

**गिरफ्तार अभियुक्त यामीन का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 704/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मु0अ0सं0 711/2025 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

**गिरफ्तार अभियुक्त अजीत कुमार का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 704/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मु0अ0सं0 711/2025 धारा 317(5) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

**गिरफ्तार अभियुक्त संजय सिंह का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 704/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मु0अ0सं0 711/2025 धारा 317(5) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. श्री अनिल कुमार शाही प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद
2. उ0नि0 श्री अमित प्रकाश, उ0नि0 श्री दल सिंह, उ0नि0 श्रीओम गौतम, उ0नि0 निखिल सोलंकी
3. है0का0 शौकीन राणा, का0 अरुण कुमार, का0 विनय कुमार



मीडिया सेल बुलंदशहर।